भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 589
जिसका उत्तर गुरुवार, 23 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

**अल्पसंख्यक समुदायों के न्यायधीश**

**589 श्रीमती राजाथी :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अल्पसंख्यक समुदायों, जिनमें ईसाई और मुस्लिम शामिल हैं, से आने वाले वर्तमान न्यायधीशों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) पिछले 4 दशकों के दौरान अल्पसंख्यक न्यायधीशों का दशक-वार प्रतिशत कितना है ; और

(ग) विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लैंगिक और धार्मिक भिन्नता सहित विविधता को बेहतर बनाने के क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) से (ग) :** उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 के अधीन की जाती है, जिसमें किसी भी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अतः, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बीच किसी भी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित श्रेणी-वार आँकड़े केंद्रीय रूप से उपलब्ध नहीं है।

जैसे कि प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव शुरू करने की जिम्मेदारी भारत के मुख्य न्यायाधीश की होती है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव शुरू करने की जिम्मेदारी संबंधित उच्च

न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की होती है। हालांकि, सरकार न्यायपालिका में सामाजिक विविधता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के उपयुक्त उम्मीदवारों पर यथोचित विचार किया जाए ताकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित हो सके । केवल वे व्यक्ति जिन्हें उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित किया जाता है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाते हैं।

*********